भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2157

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गंभीर और जानलेवा बीमारियों का उपचार

†2157. श्री अ. मनिः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में, विशेष रूप से धर्मपुरी जिले में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्यम वर्ग के परिवारों पर कैंसर, तंत्रिका संबंधी विकारों, गुर्दे की विफलता और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी पुरानी और जानलेवा बीमारियों के इलाज के वित्तीय बोझ का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में ऐसे रोगों के लिए निःशुल्क या रियायती उपचार प्रदान करने वाले तृतीयक देखभाल संस्थानों सहित सरकारी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान धर्मपुरी के लाभार्थियों की संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ग) क्या सरकार का तमिलनाडु में रोगियों, विशेष रूप से धर्मपुरी के रोगियों के लिए अपनी जेब से किए जाने वाले खर्च को कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता का विस्तार करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) धर्मपुरी सहित अल्पसेवित जिलों में पुरानी बीमारियों के लिए किफायती नैदानिक, दवाइयों और विशेष उपचार सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अतः स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सुधार की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग देशभर में विशिष्ट स्तर की कैंसर उपचार अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत 19 राज्य कैंसर संस्थानों तथा 20 विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तमिलनाडु राज्य में कैंसर संस्थान (आरसीसी), अडयार, चेन्नई को राज्य कैंसर संस्थान के रूप में स्वीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, देशभर में जिला अस्पताल स्तर पर कैंसर उपचार सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु 524 डे-केयर कैंसर केंद्र कार्यशील हैं, जिनमें से 38 डे-केयर कैंसर केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत किए गए हैं।

तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार धर्मपुरी सहित ग्रामीण एवं अल्पसेवित जिलों में किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) तथा 15वें वित्त आयोग स्वास्थ्य अनुदान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अवसंरचना, डिजिटल स्वास्थ्य पहलों तथा टेलीमेडिसिन सेवाओं को सुदृढ़ कर रही है। इसके अतिरिक्त, जेब से किए जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से निःशुल्क नैदानिक सेवाएं, जनसंख्या-आधारित एवं संगठित कैंसर जांच, गृह-आधारित स्वास्थ्य सेवाएं तथा मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा जैसी पहलों का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

केंद्र सरकार इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के माध्यम से जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके पूरक सहयोग उपलब्ध कराती है। कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों के उपचार को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को द्वितीयक एवं विशिष्ट स्तर के अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार के लिए ₹5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण औषधियों को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना तथा अमृत फार्मेसियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत निःशुल्क औषधियां एवं निःशुल्क नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत जिला एवं उप-मंडलीय अस्पतालों के स्तर पर आवश्यक औषधि सूची में कैंसर-रोधी औषधियों को भी शामिल किया गया है।
